वर्ष	गेहूं		चावल	
	आवंटन	उठाई गई मात्रा	आवंटन	उठाई गई मात्रा
1992	617.36	559.20	247.06	142.50
1993	725.16	426.90	305.16	93.50
1994	702.40	271.20	354.40	50.90

*** बी.सी.सी.एल. और सी.सी.एल. के अन्तर्गत कोयला खाने**

3. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष में बी.सी.सी.एल. एवं सी.सी.एल. की कितनी कोयला खदानों में खुदाई का काम हुआ हैं और इन दोनों संगठनों मे हुए उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले एक वर्ष में बी.सी.सी.एल. और सी.सी.एल. की किसी खदान में दुर्घटना के कारण श्रमिकों की मृत्यु हुई है; और

(ग) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और क्या उनके परिवार-जनों को किसी तरह का मुआवजा दिया गया हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार पांजा) : (क) भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.) और सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (से.को.लि.) खानों से, जहां कि उत्खनन किया गया था, उनसे वर्षउ 1994-95 के दौरान हुए उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

कंपनी	खानों की संख्या	उत्पादन (मि. टन मे) (अंनतिम)
भा.को.को.लि.	95	28.76
से.को.लि.	73	31.29

(ख) और (ग) वर्ष 1994 के दौरान भा.को.को.लि. और से.को.लि. की खानों में दुघटनाओं के कारण 59 खान कामगारों की मृत्यु हो गई। मुआवजे की राशि कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 मे दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत दी जाती हैं और यह कामगारों की आयु तथा मासिक आय पर आधारित होती है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, मृतक कामगारों के आश्रिकतों को निम्नलिखित रूप से राशि अदा की गई।

(1) अन्तेष्टि व्यय :500/रू.

(2) अनुग्रह राशि :10,000/रू.

(3) जीवन बीमा योजना के अंतर्गत देय राशि :15,000/ रू.

इसके अतिरिक्त,मृतक के किसी एक आश्रित को रोजगार दिए जाने की भी पेशकश की जाती हैं। रोजगार के एवज् मैं वैकल्पिक रूप से विधवा/महिला आश्रिक को 3000/ रू. प्रति माह की अदायगी, उसको 60 वर्ष की आयु प्राप्त किए जाने/मृत्यु हो जाने/ पुनर्विवाह किए जाने इसमें से जो भी पहले हो, दी जाती हैं।

Primary Education to Child Labour

4. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government of Gujarat has in a report recently apprised the Central Government of an action plan for providing primary education to child labourers engaged in diamond cutting and polishing, powerlooms, chemical fire cracker units and other units in the State;,